

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-12) विभाग

क्रमांक: प.1(19)गृह-12/कारा/2022

जयपुर, दिनांक: 12 9 SEP 2022

—: आदेश :-

राजस्थान कारागार सेवा नियम 1959 के नियम 24 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.08.2022 को राजस्थान कारागार सेवा के अधीक्षक ग्रेड-1A के पदों पर वर्ष 2022-23 की नियमित डीपीसी हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंकाओं के आधार पर राजस्थान कारागार सेवा में उपाधीक्षक से निम्नांकित अधिकारियों का वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके सामने अंकित चयन वर्ष में राजस्थान कारागार सेवा में अधीक्षक ग्रेड-1A के पद पर पदोन्नत किया जाता है एवं उक्त अधिकारियों को पदोन्नति फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन स्थान पर एतद्वारा पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	पदोन्नति दिनांक	वर्तमान पदस्थान	नवीन पदस्थापन
1.	श्री अभिषेक शर्मा	2022-23	01.04.2022	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर
2.	श्री वैभव भारद्वाज	2022-23	01.04.2022	जिला कारागृह, झालावाड़	जिला कारागृह, टोंक

उक्त अधिकारियों को पदोन्नति हेतु चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का नोशनल लाभ देय होगा एवं अधीक्षक ग्रेड-1A के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा।

राज्यपाल आज्ञा से

(डॉ. सौम्या झा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कारागार मंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/शासन सचिव-1A, गृह विभाग।
4. महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर।
5. महालेखाकार, (लेखा सिविल परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारीगण मार्फत महानिदेशालय कारागार।
7. प्रोग्रामर, गृह (गुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव